ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम, 1973 के अंतर्गत ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्रदाय।

श्रम सेवा पोर्टल : http://www.labour.mp.gov.in

1.प्रयोज्यता	किसी भी ठेकेदार द्वारा 20 या अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने पर।
2. आवेदन कब करें?	ठेका कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दें |
3. पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ	श्रम सेवा पोर्टल पर ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम, 1973 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध है : ⇨ ठेकेदार की नवीन अनुज्ञप्ति(New License) ⇨ ठेकेदार की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण(Renewal of License) ⇨ ठेकेदार की अनुज्ञप्ति में संशोधन(Amendment in License) ⇨ ठेकेदार की अनुज्ञप्ति में संशोधन सहित नवीनीकरण (License Renewal with Amendment)
4. आवेदन कहाँ करें?	श्रम सेवा पोर्टल पर ⇨ **नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु** : ऑनलाइन पंजीकरण/लाइसेंस सेवाएं→ठेका श्रम अधिनियम (ठेकेदार)→ठेकेदार की नवीन अनुज्ञप्ति पर आवेदन दर्ज करें |
5. आवेदनप्रक्रिया	श्रम-सेवा पोर्टल पर श्रम अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों की नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु मॉडयूल पर अपेक्षित जानकारी भर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें| आवेदन सबमिट होते ही आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **डॉकेट नंबर** एवं **पासवर्ड** भेजा जायेगा, जिससे भविष्य में आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है |
6. आवश्यक दस्तावेज	**दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें :** **नवीन अनुज्ञप्ति** 1. पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म पर जानकारी भर **save details and upload submit supporting documents** पर क्लिक करें | उपरोक्त भरी हुई जानकारी के आधार पर आवेदन फॉर्म जनरेट होगा | पेज के

	बाएँ तरफ (Print your Application for signing and uploading) पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें|आवेदन फॉर्म को हस्ताक्षरित कर स्कैन कर लें| यह फॉर्म Signed and Scanned Copy of Application की श्रेणी में पोर्टल पर अपलोड करें | (PDF फॉर्मेट) **<u>नोट</u>** :यदि आवेदन फॉर्म बाएँ तरफ नहीं दिखाई दे तो नीचे दिए गए आवेदन <u>प्रारूप IV</u> को भरें तथा फॉर्म को हस्ताक्षरित तथा स्कैन कर Signed and Scanned Copy of Application की श्रेणी में पोर्टल पर अपलोडकरें | 2. आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साईज फोटो।(JPG फॉर्मेट) **अथवा** आवेदनकर्ता संस्थान हो तो संस्थानप्रबंधक का पासपोर्ट साईज फोटो।(JPG फॉर्मेट) 3. आवेदनकर्ता का फोटो परिचयपत्र / वोटर आई डी / आधार कार्ड / ड्रायविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट या पेन कार्ड में से **<u>किसी एक की प्रति</u>**।(PDF फॉर्मेट) 4. प्रमुख नियोजक व्दारा <u>प्रारूप-V</u> (मध्यप्रदेश नियम 21 (2) के अनुसार) में जारी प्रमाणपत्र। (PDF फॉर्मेट) 5. **<u>निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने संबंधी बैंक चालान/सायबर ट्रेजरी की रसीद की प्रति</u>** (PDF फॉर्मेट)
7. आवेदन की स्थिति	जमा किये हुए आवेदन की तीन स्थितियां हो सकती है : - आवेदन पर स्वीकृति **<u>या</u>** - आवेदन पर आपत्ति **<u>या</u>** - आवेदन पर अस्वीकृति (रद्द होना) उपरोक्त किसी भी स्थिति में आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जायेगा |
8. अनुज्ञप्तिशुल्क/प्रतिभूति राशि	(मध्यप्रदेश नियम 26 (2) के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क/प्रतिभूति राशि वर्ष में किसी भी दिन ठेके पर नियोजित किये जाने वाले अधिकतम श्रमिकों की संख्या के आधार परगणित है| <u>शुल्क देखें।</u>

9. अनुज्ञप्ति शुल्क/ प्रतिभूति राशि जमा करने की विधि	**(i) बैंक चालान द्वारा:** निर्धारित हेड में बैंक चालान द्वारा राशि जमा कर चालान की प्रति से विवरण आवेदन में दर्ज करें। **ट्रेज़री हेड (शुल्क जमा हेतु) :** 0230 - श्रम एवं नियोजन 00 - 106 - श्रम विधियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ 0000 - संविदा श्रम(विनियमन एवं समाप्ति)अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्राप्तियाँ **(प्रतिभूति राशि जमा हेतु) :** "के" - जमा एवं अग्रिम "डी" - ब्याज मुक्त जमा 8443 - सिविल डिपॉजिट 116 - संविदा श्रम(विनियमन एवं समाप्ति)अधिनियम 1970 के अंतर्गत अमानत राशि **अथवा** **(ii) साईबर कोषालय(Cyber Treasury) के माध्यम से:** ऑनलाईन साईबर कोषालय(Cyber Treasury) के पोर्टल पर श्रम विभाग के अंतर्गत निर्धारित हेड में राशि जमा कर सायबर ट्रेज़री रसीद की प्रति से आवश्यक प्रविष्टियाँ आवेदन में दर्ज करें। **सायबर ट्रेज़री हेड(शुल्क जमा हेतु) :** 0230-00-106-0000 - Fees Under Contract Labour(Regulation and Abolition Rules) **सायबर ट्रेज़री हेड(प्रतिभूति राशि जमा हेतु) :** 8443-00-111-101 - Refundable Security Under Contract Labour Act, 1970
10.समय सीमा	आवेदन जमा(आवश्यक दस्तावेजों सहित) होने की दिनांक से 30 कार्य दिवस के अन्दर| यदि कोई कार्यवाही उक्त समय-सीमा में नहीं की जाती है तो अपील करने का प्रावधान है |
11.अपील	आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपील की जा सकेगी:- ⇨ **प्रथम अपील अधिकारी:** संबंधित जिले / संभाग के प्रभारी उप श्रम आयुक्त (प्रथम अपील के निराकरण के लिए निश्चित समय-सीमा: 30 कार्य

	दिवस)। ⇨ **<u>द्वितीय अपील प्राधिकारी:</u>** अपर श्रम आयुक्त / श्रम आयुक्त, म.प्र. इंदौर।
12.प्रमाणपत्र किस प्रकार प्राप्त होगा	आवेदक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र जनरेट होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा | आवेदक अपना प्रमाण पत्र श्रम-सेवा पोर्टल पर पूर्व में भेजे गए डॉकेट नंबर तथा पासवर्ड की मदद से देख सकते हैं |
13. डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन	आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिये डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल हस्ताक्षर पर क्लिक करें।

<u>ध्यान देने योग्य बातें :</u>

- अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है अतः कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर भरें, यही मोबाइल नंबर श्रम सेवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा तथा अग्रिम संपर्क/सूचना हेतु उपयोगी होगा|
- आवेदन करते समय आवेदक/प्रबंधक का आधार नंबर डालना अनिवार्य है|
- आवेदन के उपरांत दिए गए **डॉकेट नंबर** तथा **पासवर्ड** को आगामी सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाए|
- आवेदन में यदि आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आवेदनको जिला कार्यालय द्वारा आपत्ति में डाला जाएगा| आपत्तिजारी होने पर आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा|
- यदि आवेदन पर आपत्ति जारी हुई है, तो कृपया नवीन आवेदन समान त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ न दायर करें तथा एक बार में ही आपत्ति के कारणों का अनुपालन करें अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है |
- प्रक्रिया सम्बन्धी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु सम्बंधित <u>जिला कार्यालय</u> में संपर्क करें |

शुल्क एवं प्रतिभूति राशि

- **प्रतिभूति राशि-** आवेदक द्वारा इस सेवा को प्राप्त करने के लिये रूपये **200** प्रति ठेका श्रमिक की दर से चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद द्वारा निर्धारित हेड में जमा करनी होगी |
- **अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क-**उक्त अमानत राशि के अतिरिक्त विधिक शुल्क देय होगा-

क्र.	किसी भी दिन ठेके पर नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	अनुज्ञप्ति शुल्क
1	20 श्रमिक	रूपये 60
2	21 से 50 तक	रूपये 100
3	51 से 100	रूपये 200
4	101 से 200	रूपये 400
5.	201 से 400	रूपये 800
6.	400 से अधिक हो तो	रूपये 1500

- अनुज्ञप्ति शुल्क बैंक चालान या सायबर ट्रेज़री रसीद द्वारा ही जमा करायी जा सकती है।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियमके तहत् आवेदक लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी आवेदन दर्ज कर सकते हैं, लोक सेवा केंद्र भी श्रम सेवा पोर्टल से ही आवेदन दर्ज करेंगे | अनुज्ञप्ति शुल्क राशि आवेदक व्दारा बैंक चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद के माध्यम से जमा कराकर मूल प्रति लोक सेवा केन्द्र को उपलब्ध कराएँगे (जिसे लोक सेवा केन्द्र व्दारा स्केन कर अन्य दस्तावेजों के साथ वेबसाईट पर अपलोडकिया जायेगा) अथवा लोक सेवा केन्द्र व्दारा उपरोक्तानुसार राशि आवेदक से नकद जमा कराकर आवेदक को रसीद जारी की जायेगी।
- लोक सेवा केन्द्र पर जमा उपरोक्त राशि का समायोजन लोक सेवा केन्द्र की टॉपअप राशि से होगा। इस तरह माह के दौरान जिला ई-गर्वेनेंस सोसायटी के खाते में जमा ठेका अनुज्ञप्ति शुल्क राशि अगले माह के प्रथम सप्ताह में सोसायटी द्वारा, विभाग के हेड **“0230-00-106-0000”** में जमा होगी।
- प्रतिभूति राशि रूपये 200/- प्रति ठेका श्रमिक की दर से **“8443-00-111-101” (**विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के हेड में चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद द्वारा जमा कराई जायेगी |
- लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में लोक सेवा केन्द्र द्वारा अतिरिक्त 30/-रूपये प्रति आवेदन पत्र सेवा शुल्क लिया जायेगा।

संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम, 1973 के अंतर्गत ठेकेदार के नवीन पंजीयन हेतु ऑन-लाईन आवेदन

Online Application for New Contractor License under Contract Labour (R&A) Act, 1970 & M.P. Rules, 1973

All fields mark with * are mandatory.

::ठेकेदार की जानकारी ::

ठेकेदार / ठेकेदार संस्थान का नाम * :	
व्यक्ति की दशा में उसके पिता / पति का नाम :	
पता* :	
PIN Code	
टेलीफोन नं.* :	
फैक्स नं. :	
ई-मेल आई.डी.* :	
मोबाईलनं* :	
आधार नंबर.* :	
जन्म तारीख* :	
जिला (जारीकर्ता कार्यालय)* :	

:: Applicant Details (आवेदक की जानकारी) ::

आवेदक का नाम* :	
पिता का नाम* :	
पदनाम (आवेदंकर्ताफर्म / कंपनी में हैसियत) * :	

आवेदक का पता * :	
मोबाईलनं* :	
ई-मेल आई.डी.* :	

::जिस संस्थान/स्थापना में संविदा श्रमिक नियोजित किये जाने है, उस प्रमुख नियोजक की विशिष्टियाँ ::

स्थापना का नाम* :	
पता* :	
कारोबार, व्यापार, उद्योग, विनिर्माण या उपजीविका का प्रकार जो स्थापना में किया जाता है *:	
स्थापना के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र क्रं. :	
रजिस्ट्रीकरण की तारीख :	
प्रमुख नियोजक का नाम :	
पता :	
प्रमुख नियोजक का मोबाईलनं :	
प्रमुख नियोजक का ई-मेल आई.डी. :	

::संविदा श्रमिकों की विशिष्टियाँ ::

स्थापना में जिस कार्य में संविदा श्रमिकों को नियोजित किया जाता है या जाना है, उसकी प्रकृति* :	
संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या* :	
संविदा कार्य की प्रस्तावित प्रारंभ तारीख* :	
संविदा कार्य की प्रस्तावित समाप्त होने की तारीख* :n	

ठेकेदार के अभिकर्ता या प्रबंधक का नाम :	
अभिकर्ता या प्रबंधक का पता :	

:: Other Details ::

क्या ठेकेदार पिछले पांच वर्षों में किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है? :

- हां ➔अपराध का ब्यौरे दें : --
- नही

क्या ठेकेदार के विरूद्ध अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबन करने या किसी पूर्वत्तर संविदा की बाबद प्रतिभूति निक्षेप समपृहत करने का कोई आदेश किया गया था? :

- हां ➔आदेश की तारीख : ----------------------
- नही

क्या ठेकेदार ने पिछले पाँच वर्ष किसी अन्य स्थापना में कार्य किया है? :

- हां ➔
  1. नियोजक का नाम : --
  2. स्थापना का नाम : --
  3. कार्य की प्रकृति : --
- नही

:: Registration Fee Remittance Details ::

Payment Mode* : Manual Challan	Payment Mode* : Cyber Treasury
Registration Fee (INR) * : Treasury Challan Number* : Treasury Challan Date* : Bank Branch Name* : Treasury name* :	Registration Fee (INR) * : Treasury Challan Number* : Treasury Challan Date* : Challan Identification No.(CIN)* : Cyber Receipt No.(CRN)* :

:: Security Deposit Details ::

Payment Mode* : Manual Challan	Payment Mode* : Cyber Treasury
Security Deposit (INR) * :	Security Deposit (INR) * :

Treasury Challan Number* : Treasury Challan Date* : Bank Branch Name* : Treasury name* :	Treasury Challan Number* : Treasury Challan Date* : Challan Identification No.(CIN)* : Cyber Receipt No.(CRN)* :

Upload Documents :-

1. Portal Generated Application Signed and scanned in PDF
2. Passport size photograph of applicant
3. Photo ID Proof of applicant
4. Certificate of Principal Employer
5. Cyber Treasury Receipt / Treasury Challan for FEES
6. Cyber Treasury Receipt / Treasury Challan for SECURITY DEPOSIT

संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदार को अनुज्ञप्ति का प्रदाय।

प्रारूप-V

{नियम 21(2)}

प्रमुख नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक श्री .... (ठेकेदार का नाम) को अपनी स्थापना में ठेकेदार के रूप में नियोजित किया है, मैं, संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 और संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) मध्यप्रदेश नियम, 1973 के सभी उपबंधों का जहाँ तक वे उपबंध आवेदक द्वारा मेरी स्थापना में संविदा श्रमिकों के नियोजन के संबंध में मुझ पर लागू होते हैं, पालन करने के लिए वचनबद्ध हुआ/हुई हूँ।

स्थान ....

तारीख .... प्रमुख नियोजक के हस्ताक्षर

नाम ....

स्थापना का नाम और पता

....

....